सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 322 राँची, शुक्रवार, 19 जून, 2026 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 मई, 2026

विषय: गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति (**State Advisory Committee**) का पुनर्गठन ।

पत्रांक-9/RCH-233/2020-154(HSH)-- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 17 की उप-धारा (5) एवं (6) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 के नियम 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) का पुनर्गठन निम्न अनुसार होगा:-

1. डॉ० अनुपम सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ – **अध्यक्ष**
2. विभागाध्यक्ष, शिशु विभाग रिम्स रांची – **सदस्य**
3. अवर सचिव, झारखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकार (JHALSA) – **सदस्य**
4. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग – **सदस्य**
5. डॉ० वनेश माथुर, Health Officer, UNICEF – **सदस्य**
6. श्रीमती राजश्री वर्मा, Associate Professor, Rural Management Programme, XISS Ranchi – **सदस्य**
7. श्रीमती पूजा, सचिव, सृजन फाउंडेशन, संस्था – **सदस्य**

यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

यह आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के माननीय मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण विभाग

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 322 - 50